Extradition of Sikh Militants Staying in Russia

1218. SHRI VIRENDRA KATARIA:
SHRI JAGIR SINGH DARD:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that almost 5000 sikh militants are staying in Russia;

(b) whether Government of India has taken up the matter with Russian Government for their extradition; and

(c) if so, with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Though there are reports that some elements of sikh community whose number may have swelled to about 5000 at present, did try to take advantage of the situation arising out of collapse of USSR in 1991, to sue Russia as a transit point to Western countries, it is difficult to state how many of them are militants.

(b) and (c) An agreement has been signed betewen Russian Federation and Govt. of India for mutual assistance and cooperation for combating crime.

नानकपुरा में अवैध निर्माण

1219. **श्री चतुरानन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि थाना रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–22 के अन्तर्गत नानकपुरा पुलिस चौकी के पूर्व प्रभारी और एक सहायक उपनिरीक्षक नानकपुरा क्षेत्र में अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों के लिये जिम्मेदार हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एक बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर ने मोची बाग गांव के समीप एक सार्वजनिक कार पार्किंग स्थल पर उपरोक्त पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में कब्जा किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अधिकारियों ने सुभाष मार्किट, नानकपुरा में पुलिस मुख्यालय में तैनात एक पुलिस अधिकारी के भाई तथा अन्य लोगों द्वारा सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके अवैध निर्माण करवाया है;

(घ) क्या सरकार को मोची बाग गांव सहित इस क्षेत्र म ऐसे अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों के संबंध में स्थानीय लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ङ) क्या सहायक पुलिस आयुक्त, सर्तकता विभाग, पुलिस मुख्यालय को इस गांव की एक हरिजन विधवा की शिकायत पर अवैध निर्माण के संबंध में स्थानीय चौकी प्रभारी के विरूद्ध जांच किये जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं ; और

(च) यदि हां, तो जांच आरम्भ न किये जाने तथा अवैध निर्माणों को न रोके जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी0एम0 सईद) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि नानकपुरा क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध कब्जा/निर्माण नहीं पाया गया है ।

(ख) एक भवन निर्माण सामग्री सप्लायर ने भवन निर्माण संबंधी कुछ सामग्री गांव मोची बाग में एक खाली प्लाट में रखी हुई है । यह बात सिद्ध नहीं हुई है कि आर.के. पुरम थाने के पुलिस अधिकारी के संरक्षण में उसने ऐसा किया है ।

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि सुभाष मार्किट क्षेत्र में इस प्रकार का कोई अतिक्रमण अथवा अवैध निर्माण उनकी जानकारी में नहीं आया है ।

(घ) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पुलिस को उस क्षेत्र के निवासियों से इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, दिल्ली प्रदेश समाजवादी

पार्टी, 8, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली, के श्री वाहर सिंह नामक व्यक्ति, जो कि इस क्षेत्र में नहीं रहता है, द्वारा 1994 के दौरान 15 शिकायतें की गई । परन्तु, ये शिकायतें सिद्ध नहीं हुई ।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान् । मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन-पत्रों की पुनः जांच किया जाना

1220. **श्री अजीत जोगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन-पत्रों की पुनः जांच करने हेतु एक समिति का गठन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित किए गए किंतु केन्द्र सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) 30 जून, 1994 तक पता चले फर्जी दावों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो कि इस योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं । दावों की अस्वीकृति के संबंध में सरकार के निर्णय से खिन्न उम्मीदवार, पुनरीक्षण याचिका/अभ्यावेदन भेजते रहते हैं । ऐसी पुनरीक्षण याचिकाओं/अभ्यावेदनों की प्राप्ति और निपटान एक सतत् प्रक्रिया है । तथापि, दावे की अस्वीकृति के बाद भी यदि कोई उम्मीदवार, सरकार की संतुष्टि के लिए, कोई अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उस पर पुनर्विचार करने पर पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है । इसे देखते हुए, कोई समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) ऐसे मामलों का अलग से, वर्ष-वार, कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ङ) जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । ऐसी शिकायतों की जांच कराई जाती है तथा सही पाये जाने पर पेंशन को स्थगित/रद्द करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है । 30 जून, 1994 तक जिन मामलों में पेंशन रद्द अथवा निलम्बित कर दी गई है, उनकी संख्या संबंधी एक राज्य-वार विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निलम्बित हुए	रद्द हुए
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	101	4
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	0	0
4	बिहार	604	178
5	गोवा	0	0
6	गुजरात	0	0
7	हरियाणा	15	22
8	हिमाचल प्रदेश	0	2
9	जम्मू एवं कश्मीर	0	0
10	कर्नाटक	579	261
11	केरल	720	61
12	मध्य प्रदेश	55	61